माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R 1244-PBR/17

प्रकरण क्रमांक 2017 पुनरीक्षण

(1) श्रीमति सौनिया उर्फ गरिमा पति रितेश
खण्डेलवाल आयु 37 वर्ष धंधा कृषि
निवासी 27 जयसिंहपुरा उज्जैन

(2) श्रीमति सरोज प्रदीप शर्मा आयु 37 धंधा
कृषि 21/1, घटकरपर मार्ग फ्रिगंज
माधवनगर उज्जैन

............पुनरीक्षण/आवेदिकागण

विरूद्ध

(1) गजेन्द्र पिता मेहरवान सिंह आयु 35 वर्ष
धंधा कृषि निवासी ग्राम जेथल तहसील
घटिट्या जिला उज्जैन।

(2) मध्य शासन

.... प्रत्यार्थी/ अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

(प्रकरण क्रमांक 07/ अ.13/15-16 श्रीमति सौनिया विरूद्ध गजेन्द्र के प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 15/02/2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत है।)

माननीय महोदय

माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण/आवेदिकागण की निम्नानुसार प्रस्तुत हैं

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

01 यह कि आवेदिकागण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम जैथल तहसील घटिट्या जिला उज्जैन पर स्थित है जिसका सर्वे क्रमांक 233/1 रकवा 0.40 है जो कि भू अधिकार ऋण पुस्तिका भाग 1 व 2 जिसका क्रमांक L व H 205591 मे तथा राजस्व अभिलेखो मे भूमि स्वामि के रूप मे दर्ज है और जिसका खसरा 2008-09 से वर्ष 2015-16 तक तथा वर्तमान मे आवेदिकागण का नाम अभिलेखो मे भूमि स्वामि के रूप मे दर्ज है।

Soniya सरोज शर्मा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1244-पीबीआर/17 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक ०३.०१.१९ को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	